दिनांक 01.10.2021
प्रेस विज्ञप्ति 01/2021

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद गाजियाबाद/थाना इन्दिरापुरम

- **50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 01.10.2021 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बसुन्धरा रेड लाईट से पुरस्कार घोषित अभियुक्त मुकीस उर्फ मुकीम उर्फ टिंगा को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना इन्दिरापुरम पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1760/2011 धारा 394/411 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु रेन्ज स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– मुकीस उर्फ मुकीम उर्फ टिंगा निवासी ग्राम बैहटा गुसाई थाना बिलसी जनपद बदायूं।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–39

- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट का 01 आटो**
- **चोरी का 01 आटो इंजन**
- **घटना में प्रयुक्त 01 आटो**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 30.09.2021 को थाना सेक्टर–39 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेक्टर–44 चौराहे से सेक्टर–98 की तरफ सर्विस रोड के पास चेकिंग के दौरान आटो सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही

में 02 अभियुक्तों 1–अर्जुन 2–विश्वास घायल हो गये, जिन्हें अभियुक्त 3–मोमराज 4–अरविन्द उर्फ अर्जुन सहित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट गये 01 ऑटो, चोरी का 01 ऑटो इंजन, घटना में प्रयुक्त 01 ऑटो , 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 29.09.2021 को थाना सेक्टर–39 क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सेक्टर–39 पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–39 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अर्जुन निवासी मंडीजैन भजनपुरा, दिल्ली, वर्तमान पता–ग्राम मढ़िया थाना बीटा–2 गौतमबुद्धनगर।

2–विश्वास निवासी ग्राम झाझर थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर वर्तमान पता–ग्राम मढ़िया थाना बीटा–2 गौतमबुद्धनगर।

3–मोमराज निवासी ग्राम शेखपुर थाना धनारी जनपद सम्भल।

4–अरिवन्द उर्फ अर्जुन निवासी अलीपुर खादर थाना हसनपुर जनपद अमरोहा, वर्तमान पता– ग्राम मढ़िया थाना बीटा–2 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1–लूट गये 01 ऑटो।

2– चोरी का 01 ऑटो इंजन।

3– घटना में प्रयुक्त 01 ऑटो ।

4– 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना कासना

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे गये माल बिक्री का 04 लाख 10 हजार रूपये नगद**
- **लूट का 47 कैरेट अण्डा व 60 खाली कैरेट**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट कार आदि बरामद**

दिनांक 30.09.2021 को थाना कासना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिरसा कट से डाबरा को जाने वाले रास्ते से चेकिंग के दौरान 05 अभियुक्तों 1–साहिल 2–फिरोज 3–नदीम 4–तुषार 5–विक्रम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये माल बिक्री का 04 लाख 10 हजार रूपये नगद, लूट का 47 कैरेट अण्डा व 60 खाली कैरेट, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट कार आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 13.09.2021 को थाना कोण्डली सोनीपत, हरियाणा क्षेत्रान्तर्गत लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोण्डली पर अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया व माल थाना कोण्डली पर पंजीकृत अभियोग से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोण्डली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–साहिल निवासी अलवर्दीपुर कुलेसरा थाना ईकोटेक–3 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

2–फिरोज निवासी अलवर्दीपुर कुलेसरा थाना ईकोटेक–3 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

3–नदीम निवासी अलवर्दीपुर कुलेसरा थाना ईकोटेक–3 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

4–तुषार निवासी अलवर्दीपुर कुलेसरा थाना ईकोटेक–3 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

5–विक्रम निवासी वृन्दावन थाना रिजौर जनपद एटा, हालपता अलवर्दीपुर कुलेसरा थाना ईकोटेक–3 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

<u>बरामदगी</u>

1—लूटे गये माल बिक्री का 04 लाख 10 हजार रूपये नगद।

2— लूट का 47 क्रेटें अण्डा व 60 खाली क्रेटें।

3— 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस।

4— घटना में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट कार आदि।

जनपद शाहजहॉपुर/थाना सिंधौली

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 12 लाख रूपये कीमत की चोरी के भारी मात्रा में सोने/चॉदी के आभूषण**
- **33 हजार रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 मल्टीमीडिया मोबाइल बरामद**

दिनांक 30.09.2021 को थाना सिंधौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बरौरा से अभियुक्त दीपक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 12 लाख रूपये कीमत की चोरी के भारी मात्रा में सोने/चॉदी के आभूषण, 33 हजार रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित कारतूस, 01 मोटर साइकिल, 01 मल्टीमीडिया मोबाइल फोन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 29/30.09.2021 की रात्रि थाना सिंधौली क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिंधौली पर मु0अ0सं0—484/2021 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। अभियुक्त से बरामद सोने/चॉदी के जेवरात, नगद रूपये उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सिंधौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—दीपक निवासी मोहल्ला किसान कस्बा व थाना सिंधौली जनपद शाहजहॉपुर।

<u>बरामदगी</u>

1—लगभग 12 लाख रूपये कीमत की चोरी के भारी मात्रा में सोने/चॉदी के आभूषण,

2—33 हजार रूपये नगद।

3— 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित कारतूस।

4—01 मोटर साइकिल।

5— 01 मल्टीमीडिया मोबाइल फोन।

<u>जनपद कौशाम्बी/थाना कोखराज</u>

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 01.10.2021 को थाना कोखराज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चाकवन चौराहे से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अशोक उर्फ पप्पू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोखराज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 56/2015 धारा 394/467/468/471 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोखराज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—अशोक उर्फ पप्पू निवासी सरैया थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित कारतूस।

जनपद बस्ती/थाना कोतवाली

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 01.10.2021 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बाम्बे गैराज के सामने रोड से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अनिरूद्ध को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 156/2021 धारा 419/420/468 भादवि, 15(3) इण्डियन मेडिकल काउसिंल एक्ट, 51/53 आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 28 बी औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 03 महामारी अधिनियम में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अनिरूद्ध निवासी ग्राम शाहपुर थाना सोनहा जनपद बस्ती।

जनपद फिरोजाबाद/थाना नसीरपुर

- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 03 लाख रूपये कीमत की 50 किलोग्राम अवैध गांजा**
- **01 चार पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 30.09.2021 को थाना नसीरपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नसीरपुर कट फतेहपुर कर्खा रोड पर बन्द पडे भट्टे से 06 अभियुक्तों 1–संजय कुमार

2—अंकित 3—सुशील कुमार 4—प्रदीप 5—जितेन्द्र 6—शिवम कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 03 लाख रूपये कीमत की 50 किलोग्राम अवैध गांजा, 01 चार पहिया वाहन बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना नसीरपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—संजय कुमार निवासी नगल भंज्जा थाना किशनी जनपद मैनपुरी, वर्तमान पता माधव कुंज कॉलोनी, महोली रोड़, मथुरा।

2—अंकित निवासी जरामई थाना दन्नाहार जनपद मैनपुरी।

3—सुशील कुमार निवासी बाहठोन थाना लोधा जनपद अलीगढ़।

4—प्रदीप निवासी साढूपुरा थाना निधौली कलां जनपद एटा।

5—जितेन्द्र निवासी कैथावा थाना बैला जनपद औरैया।

6—शिवम कुमार निवासी कैथावा थाना बैला जनपद औरैया।

<u>बरामदगी</u>

1—लगभग 03 लाख रूपये कीमत की 50 किलोग्राम अवैध गांजा।

2— 01 चार पहिया वाहन।

- **<u>जनपद मीरजापुर/थाना लालगंज(प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

  जनपद मीरजापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफटीसी प्रथम, मीरजापुर द्वारा थाना लालगंज पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 302 भादवि में अभियुक्त छोटेलाल को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

- **<u>जनपद जौनपुर/थाना खुटहन (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा 05 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मीरजापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफटीसी द्वितीय, जौनपुर द्वारा थाना खुटहन पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 304 भाग (1) सपठित धारा 34 भादवि में अभियुक्तों 1–गोरख उर्फ लल्लू 2–अमित यादव को आजीवन कारावास की सजा व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्याः 16, (पॉक्सो एक्ट) सीतापुर द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 376घ/506 भादवि में अभियुक्त राजेश को 20 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

–––––